

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 1979/आषाढ़ 29, 1901
No. 234] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1979/ASADHA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विस्तृत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधीक्षणा

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1979

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 451 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद सं. 1ख के अधीन आने वाले तैयार खाद्य पदार्थ [जिनके अन्तर्गत अनाज (जैसे गेहूँ, बंगाली चन्ना और मूंगफली) तथा गूड़ आते हैं] जो शिशुओं या बच्चों अथवा गर्भवती महिलाओं या दूध पिला रही माताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए आयातित हैं उन पर उद्घातीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती हैं।

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के सब समाधान प्रद रूप में यह प्रमाणित कर लिया जाए कि उक्त खाद्य पदार्थ पूर्वोक्त वर्ग के व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए जाने के लिए मुफ्त वितरित कर दिए गए हैं।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1979 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेंगी।

[सं. 234/79-फा. सं. 10/7/79-कै. उ. श. 1]

सी. एन. बालकृष्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 451(E).—In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts prepared foods [consisting of cereals (such as wheat, Bengal gram and groundnut) and Jaggery] falling under Item No. I-B of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), intended to provide energy to infants or children or pregnant women or for nursing mothers, from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that it is established to the satisfaction of the Collector of Central Excise that the said food preparations are distributed free for consumption by the classes of persons aforesaid.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of 31st day of July, 1979

[No. 234/79-CE F. No. 10/7/79-CX. I]

C. N. BALAKRISHNAN NAIR, Under Secy.